

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा।
पत्रांक 2118 / 14-1 एटा:दिनांक:मार्च 29-03-2018
सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़

विषय:- एटा- शिकोहाबाद मार्ग (एस0एच-85) किमी0 3.1325 की दांभी पटरी पर ग्राम- निधौली खुर्द के खसरा सं0- 999स / 1 में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 (पूर्व में 0.0794 हे0) संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक 8बी/06/32/2016/एफ0सी0/904 दिनांक 15.03.2018 महोदय,

विषयांकित प्रकरण में संदर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी 03 बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है।

चाही गयी आख्या	अनुपालन आख्या
1. वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन का क्षेत्रफल प्रस्तुत करें।	उल्लंघन सम्बन्धी क्षेत्रफल आगणन पत्र संलग्न है। संलग्न सं0-(1)
2. उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, आत्म निहित नोट उपलब्ध करायें	सूचना संलग्न है। संलग्न सं0-(2)
3 वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप दण्डात्मक क्षति पूरक वृक्षारोपण योजना उपलब्ध करायी जाये।	दण्डात्मक क्षति पूरक वृक्षारोपण योजना, (एसटीमेंट, के0एम0एल0) संलग्न है। संलग्न सं0-(3)

अनुपालन आख्या आपकी सेवा में उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा।

पत्रांक 2118 / 14-1 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नोडल अधिकारी / मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ
2. प्रभागीय प्रबन्धक, उ0प्र0 एस्साय ऑयल सि0, नोयडा

(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
एटा।